।। श्री गणेशाय नमः ।।

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

420721

22 JUN 2007

1. भूमि का प्रकार – कृषि भूमि
2. मौहल्ला / ग्राम....मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा
3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकबा 0.961 हैक्टेयर
4. सम्पत्ति का प्रकार :– कृषि भूमि
5. पेड़ों का मूल्यांकन....नहीं
6. बोरिंग / कुआ / अन्य.. नहीं
7. प्रतिफल की धनराशि 3000000 / –.रूपये
8. स्टाम्प हेतु मालियत 3000000 / –रूपये
9. स्टाम्प देय 300000 / –रूपये जिसमें से 40000 / –रूपये का स्टाम्प बजरिये इकरारनामा दिनांक–12.6.2006 प्रलेख संख्या–6688 के द्वारा अदा किया जा चुका है व शेष 260100 / –रूपये का स्टाम्प इस विक्रय पत्र द्वारा अदा किया जा रहा है
10. सरकारी दर भूमि सड़क से दूर 1000000 / रूपये प्रतिएकड़ जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 52 क्रमांक 29 पर दर्ज है।

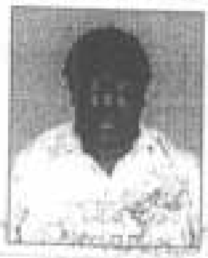

क्रमांक 29 दिनांक 22/6/07 शुल्क 25 रु०

नाम श्री मैं० जे०पी० इलेक्ट्रानिक्स द्वारा प्रोपराइटर राम कनवाल पुत्र उमाशंकर कनवाल

पता 111 श्री यमुना बाग कॉलोनी मथुरा

22/6/07

डी० नरेश कुमार जाखड़
स्टाम्प विक्रेता
कोषागार, मथुरा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 420722

वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा
22 JUN 2007

(2)

कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा – प्रथम/द्वितीय

प्रथमपक्ष की संख्या (1)

<u>विक्रेता का विवरण</u>

बांकेबिहारी व रामेश्वर पुत्रगण स्व0 श्री गोविन्दराम व श्रीमती शकुन्तलादेवी पत्नी स्व0 श्री गोविन्दराम निवासीगण ग्राम सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व एस0जे0पी0 रीयल स्टेट एण्ड डवलपर्स द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी, गोवर्धन चौराहा, मथुरा मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

द्वितीयपक्ष की संख्या (1)

<u>क्रेता का विवरण</u>

एस0जे0पी0 ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी, गोवर्धन चौराहा, मथुरा " पैन नंबर–ए सी डब्लू टी ए 9032 ए "

बांकेबिहारी रामेश्वर

शकुन्तलादेवी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

420723

वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा
22 JUN 2007
[illegible]

(3)

हमकि बांकेबिहारी व रामेश्वर पुत्रगण स्व0 श्री गोविन्दराम व श्रीमती शकुन्तलादेवी पत्नी स्व0 श्री गोविन्दराम निवासीगण ग्राम सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व एस0जे0पी0 रीयल स्टेट एण्ड डवलपर्स द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी, गोवर्धन चौराहा, मथुरा मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

420724

22 JUN 2007

(4)

जो कि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर–100 व खसरा नंबर–31 रकबा 0.961 हैक्टेयर लगानी 18.70 रूपया सालाना बाकै मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष है और सरकारी कागजात माल में विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। विक्रेता प्रथमपक्ष का ही कब्जा है और जिसके विषय में विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक-साफ है सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

420725

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

वरिष्ठ कोषाधिकारी
22 JUN 2007

(5)

वस्तु है जो विक्रेता प्रथमपक्ष के इस बैनामा करने में कोई रूकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष की ही है मौजे की आराजी का सड़क से दूर होने की वजह से सरकारी रेट 1000000/–रूपया प्रतिएकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी की स्टाम्प हेतु मालियत 3000000/–रूपया है कृषि से कोई खास आय नहीं हो

25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 420726

वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा
22 JUN 2007

(6)

पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रूपये को कहीं भी लगा देने से विक्रेता प्रथमपक्ष को एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी। प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त आराजी के बेचने का मुहायदा बै दिनांक–12.6.2006 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर–1 जिल्द 3720 के सफा 17/32 नंबर–6688 पर हुई द्वितीयपक्ष से तय किया था मुहायदा बै की शर्तों के अनुसार व उसके अनुपालन में यह विक्रय पत्र द्वितीयपक्ष को शामिल कर उसकी सहमति से किया जा रहा है। जिस मुहायदा बै में 40000/–रूपये का स्टाम्प अदा किया गया था जिसमें से 100/–रूपये का

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

420727

22 JUN 2007

(7)

स्टाम्प कमकर 39900/–रूपये का स्टाम्प इस विक्रय पत्र में मुजरा किया जा रहा है व शेष 260100/–रूपये का स्टाम्प अदा किया जा रहा है। अतः उक्त आराजी को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष व मुहायदा वै द्वितीयपक्ष को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों वएवज 3000000/तीस लाख रूपया जिसके आधे 1500000/–पन्द्रह लाख रूपया होते हैं। बदस्त एस0जे0पी0 ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 420728

वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा
22 JUN 2007
कोषाधिकारी
मथुरा

उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी, गोवर्धन चौराहा, मथुरा के हक में बै कतई कर दिया और बैच दिया और कीमत का 1200000/–रूपया खरीदार से एच0डी0एफ0सी0 बैंक के तीन किता पेय आर्डर प्रथम नंबर–4148 व द्वितीय नंबर–4149 व तृतीय नंबर–4150 तीनों दिनांक–12.6.2007 प्रत्येक तादादी 400000/–रूपये द्वारा पाये व

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

420729

22 JUN 2007

1800000/--रूपये भिन्न भिन्न तारीखों में पहले ही प्राप्त कर बेची गई उक्त आराजी पर खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया । खरीदार बेची गई आराजी का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करें अब विक्रेता प्रथमपक्ष व विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों का बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 420730

(10)

हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जाने या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जवाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब विक्रेता प्रथमपक्ष जिम्मे है और खरीदार वह सब विक्रेता प्रथमपक्ष से व उसके वारिसानों व उसकी चल अचल सम्पत्ति से हस्ब जाब्ता मय खर्चे के बसूल करलें । इसमें प्रथमपक्ष को कोई उज्र नहीं होगा। आराजी एक फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई

10000 रु. भारतीय गैर न्यायिक Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हज़ार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. सत्यमेव जयते भारत INDIA Rs.10000

INDIA NON JUDICIAL

03AA 899690

वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा 22 JUN 2007

11)

पेड़ आदि है । विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नही है। उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा है। अब विक्रेता प्रथमपक्ष का उक्त खसरा नंबरान में कोई भी अंश भूमि शेष नहीं है। तसदीकी मुख्तारनामा आम दि0–2.8.2006 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा में बही नंबर–6 खण्ड 123 के राफा 105 / 108 पर नंबर–441 पर दिनांक–2.8.2006 हुई है रासबिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी पाठक गली, राजाधिराज बाजार, मथुरा को उक्त राम अग्रवाल पुत्र श्री उमांशकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख प्रस्तुत करने व निबंधन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

25

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 068801

लिहाजा यह बैनामा बखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

दिनांक– 22.6.2007

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया मथुरा

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट,मथुरा ।

कार्यालय

मथुरा

Cashier

आज दिनांक 22/06/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 4403

पृष्ठ सं 313 से 338 पर कमांक 7646

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

मुकेश श्रीवास्तव

उप निबन्धक

मथुरा

22/6/2007